In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.966/2012/12(120)/XXVII(8)/2012 dated 2 November 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 966/2012/12(120)/XXVII(8)/2012

Dehradun :: Dated: : 2 November 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of development of industry in remote and hill areas of the State;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) and rule 11 of Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 read with rule 5 and 6 of the Uttarakhand Special Integrated Industrial Promotion Policy, 2011(as amended from time to time), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the Value Added Tax and input tax reimbursement for the manufacturing industrial units established in remote and hill areas of the State subject to the following terms and conditions :-

1. The classification of District level units and State level units shall be made on the basis of investment in the unit by the industries department and such units shall apply for exemption under industrial policy to the industries department and on the basis of recommendation of District Level Committee / State Level Committee, the industries department shall furnish information of eligible units to Commercial Tax Department

2. The manufacturing units established in the hill areas shall at the end of the quarter submit quarterly returns of turnover to the Commercial Tax Department by the 10th day of the succeeding month. Thereafter the assessing officer shall examine the return and submit it to the general manager, District Industries Centre by 15th of that month.

3. The General Manager, District Industries/ officer/ institution nominated by industries department shall ensure to make the payment to the Commercial Tax Department by 25th day of the same month from the budget available under the promotion policy for industrial development of remote and hill areas and if the budget is not available, shall send their demand to the SIDCUL/ Directorate. As per the arrangements prescribed in the office order no. 2932/VII-II/ 123-Udyog/ 08/ 2011 dated 18-11-2011 of Uttarakhand Shasan Industries Development Section-2 in relation to manufacturing industries to be established in hill areas, the liability of input tax (payable on purchase within state) and output tax arising on the basis of eligibility as admissible shall be discharged by the SIDCUL from its own account to the Commercial Tax Department on the basis of verification by the concerned assessing officer as SIDCUL which is a nominated Institution of the Industrial Department keeps money in sufficient quantity at all time.

4. Under the Uttarakhand VAT Act, 2005 the maximum limit of reimbursement shall be in accordance with the Uttarakhand Special Integrated Industrial Promotion Policy, 2011(as amended from time to time).

5. If the reimbursement is not made in time owing to the return not having been submitted to the Commercial Tax Department up to the 10th day of the succeeding month of the quarter, liability of interest as prescribed by the Commercial Tax Department shall be that of the concerned industrial unit.

6. The industries department or the institution nominated by it shall submit the said return to the Commercial Tax Department by 25th of the same month.

7. The reimbursement of input tax paid by the industrial unit on the purchases made from the registered dealers within the State shall be made by the industry department on the basis of the certificate issued by the assessing officer in respect of input tax after assessment and on the basis of certification issued after joint inspection by the officers of the industries department and Commercial Tax Department.

8. If for any reason, the manufacturing industrial units fails to submit the quarterly return in time, it may, with prior permission of the Commissioner Commercial Tax or any other officer authorised by him, submit the return with late fee and interest within the time prescribed by him.

9. A certain estimated amount shall be made available in advance to the General Manager of industries/ institution nominated by industries department of hill districts to ensure the payment of reimbursement in time.

10. Such units, whose input tax exceeds the output tax even after one year of start of production, shall not be eligible for reimbursement.

11. The industries to be established in remote hill areas under Uttarakhand special integrated industrial development promotion policy, 2011 (as amended from time to time), whose annual turnover exceed ₹ 50 lakhs, shall also submit tax on quarterly basis as stipulated in the provisions of industrial policy.

12. Besides, the claims relating to sanction/ distribution of VAT and input tax reimbursement of concern units shall be annually reviewed jointly by the officer of the Commercial Tax Department and Industries Department. The review of District level units shall be made by the General Manager Industries Department and concerned Assistant Commissioner/ Deputy Commissioner of Commercial Tax Department and in case of State level units the review shall be done jointly by the Director Industries and Additional Commissioner Commercial Tax of related zone respectively.

(Radha Raturi)
Secretary.

D:/New Vigyapti/ Industrial Package (5 years tax rebate) 24-09-2012

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2012/12(120)/XXVII(8)/2012
दिनांक:: देहरादून:: 2 नवम्बर 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 सपठित उत्तराखण्ड विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (यथा संशोधित/ परिविर्धित), 2011 के नियम 5 व 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माण इकाइयों को निम्न निर्बन्धों एवं शर्तों के अधीन मूल्य वर्धित कर एवं इनपुट टैक्स प्रतिपूर्ति दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा और इस प्रकार की इकाइयॉ औद्योगिक नीति के तहत छूट प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन उद्योग विभाग के समक्ष करेगी तथा जिला स्तरीय/ राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति पर उद्योग विभाग इस प्रकार की पात्र इकाइयों की सूचना वाणिज्य कर विभाग को देगा।

2. पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित विनिर्माण इकाई द्वारा अपनी बिक्री की विवरणी(रिटर्न) वाणिज्य कर विभाग में अपने करनिर्धारण अधिकारी को तिमाही की समाप्ति के उपरान्त अगले माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे, तदोपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिटर्न जॉच कर उसी माह की 15 तारीख तक महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेगे।

3. महाप्रबंधक उद्योग/ उद्योग विभाग द्वारा नामित अधिकारी/ संस्था दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से वाणिज्य कर विभाग को उसी माह की 25 तारीख तक विवरणी सहित कर भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा यदि बजट उपलब्ध न हो तो उसकी मॉग सिडकुल/ निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2932/VII-II/123–उद्योग/08/2011 दिनांक 18.11.2011 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों के विनिर्माण के सम्बंध में जो वैट संबंधी इनपुट(प्रान्तीय खरीद पर देय) एवं आउटपुट टैक्स की देयता के अनुसार पात्रता के आधार पर अनुमन्यता के अनुसार इसका भुगतान वाणिज्य कर विभाग के सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के सत्यापन के आधार पर सिडकुल द्वारा अपनी मद से किया जायेगा। चूंकि सिडकुल उद्योग विभाग की नामित संस्था है, और संस्था के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध होती है।

4. उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत इकाई द्वारा देय कुल इनपुट टैक्स एवं मूल्य वर्धित कर(नैट टैक्स) पर उपादान की सीमा उत्तराखण्ड विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (यथा संशोधित/ परिविर्धित), 2011 के अनुरूप होगी।

5. वाणिज्य कर विभाग में दाखिल तिमाही विवरणिका (रिटर्न) निर्धारित समय प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दाखिल न कर पाने पर यदि प्रतिपूर्ति समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इस पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज की राशि की देयता सम्बंधित उद्यमी की होगी।

D:/New Vigyapti/ Industrial Package (5 years tax rebate) 24-09-2012

12349
5/11/2012
समस्त .... अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
अपर आयुक्त कर

6. उद्योग विभाग अथवा उसके द्वारा नामित संस्था द्वारा उक्त विवरणी (रिटर्न) को उस माह की 25 तारीख तक वाणिज्य कर विभाग में कर सहित प्रस्तुत की जायेगी।

7. प्रान्त के अन्दर की खरीद पर (पंजीकृत व्यापारियों से) इकाई द्वारा दिये गए इनपुट टैक्स की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा, कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण के उपरान्त इनपुट टैक्स हेतु जारी प्रमाण–पत्र तथा उद्योग विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर दिया जायेगा।

8. यदि किन्हीं कारणों से विनिर्माता औद्योगिक इकाई तिमाही विवरणी समय से दाखिल करने में असमर्थ रहती है तो उसके द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से संबंधित विवरणी विलम्ब शुल्क एवं ब्याज सहित उनके द्वारा स्वीकृत समय के भीतर दाखिल की जा सकती है।

9. पर्वतीय जिलों के महाप्रबंधकों / उद्योग विभाग द्वारा नामित संस्था को उक्त उपादान प्रतिपूर्ति का भुगतान समय से किये जाने हेतु एक निश्चित अनुमानित राशि पूर्व से उपलब्ध करायी जायेगी।

10. ऐसी इकाइयॉ जिनका उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष पश्चात् भी इनपुट टैक्स का दावा आउटपुट टैक्स के सापेक्ष अधिक रहता है वह प्रतिपूर्ति हेतु पात्र नहीं होगी।

11. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (यथासंशोधित/परिवर्धित), 2011 के अन्तर्गत दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख से अधिक रहेगी, उनके लिए भी उक्त नीति के बिन्दु संख्या 4 व 5 में प्रतिस्थापित प्राविधानों के अनुसार कर जमा करने का आधार त्रैमासिक रहेगा।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त प्रकार से वैट के प्रतिपूर्ति सम्बंधी दावों की स्वीकृति/संवितरण सम्बंधी इकाइयों की वार्षिक समीक्षा वाणिज्य कर व उद्योग विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से की जायेगी। जिला स्तरीय इकाइयों के सम्बंध में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक एवं सम्बंधित क्षेत्राधिकार के असिस्टेन्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं राज्य स्तरीय इकाईयों के सम्बंध में निदेशक उद्योग एवं सम्बंधित जोन के एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा संयुक्त रुप से समीक्षा की जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं0 916 /2012/12(120)/XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

D:/New Vigyapti/ Industrial Package (5 years tax rebate) 24-09-2012